भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *250.

जिसका उत्तर 12.12.2024 को दिया जाना है

वाहन स्क्रैपिंग नीति

*250. श्री दुष्यंत सिंहः

श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों (आरवीएसएफ) और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) की स्थापना और संवर्धन पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए, अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक प्रभावी इकोसिस्टम बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर में संचालित पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ) और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) की कुल संख्या कितनी है तथा स्थापित किए जाने वाले अतिरिक्त सुविधा केंद्रों की संख्या कितनी है;

(ग) पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए सरकार द्वारा वाहन मालिकों और निर्माताओं को क्या विशिष्ट प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं;

(घ) विशेषत: वायु प्रदूषण को कम करने और नए तथा ईंधन की कम खपत करने वाले वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के संबंध में, वाहन स्क्रैपिंग नीति के संभावित पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ क्या हैं तथा यह स्वच्छ और सरकार के सस्टेनेबल मोबिलिटी के व्यापक लक्ष्यों के किस प्रकार अनुरूप है; और

(ङ) इस नीति से वाहन विनिर्माण क्षेत्र, विशेषतः उत्पादन के संबंध में क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

"वाहन स्क्रैपिंग नीति" के संबंध में श्री दुष्यंत सिंह और श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे द्वारा पूछे गए दिनांक 12.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *250 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) सरकार ने स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वीवीएमपी) तैयार किया है जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारि-तंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहन/हतोत्साहन की एक प्रणाली शामिल है। इस नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 की रूपरेखा के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित किया गया है। निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गई हैं और मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं:

(1) सा.का.नि. अधिसूचना 653 (अ), दिनांक 23.09.2021 के तहत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा(आरवीएसएफ) की स्थापना के लिए मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से प्रभावी हो गई है। इन नियमों को सा.का.नि. अधिसूचना 695(अ) दिनांक 13.09.2022 और सा.का.नि. अधिसूचना 212(अ) दिनांक 15.03.2024 के तहत संशोधित किया गया है।

(2) सा.का.नि. अधिसूचना 652(अ), दिनांक 23.09.2021 में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता,विनियमन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से प्रभावी हो गई है। इन नियमों को सा.का.नि. अधिसूचना 797(अ) दिनांक 31.10.2022 और सा.का.नि. अधिसूचना 195(अ) दिनांक 14.03.2024 के तहत संशोधित किया गया है।

(3) सा.का.नि. अधिसूचना 714(अ), दिनांक 04.10.2021 के तहत वाहनों के पंजीकरण शुल्क, फिटनेस परीक्षण शुल्क और फिटनेस प्रमाणन शुल्क में और संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हो गई है।

(4) सा.का.नि. अधिसूचना 720(अ), दिनांक 05.10.2021 "निक्षेप प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने पर पंजीकृत वाहनके लिए मोटर वाहन कर में रियायत प्रदान करती है। अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हो गई है।

(5) सा.का.नि. अधिसूचना 272 (अ), दिनांक 05.04.2022 के तहत केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 175 के अनुरूप पंजीकृत किसी स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से ही मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस का प्रावधान किया गया है, जो निम्नानुसार है -

i. भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए 01 अप्रैल, 2023 से आगे और
ii. मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों(परिवहन) के लिए 01 जून, 2024 से प्रभावी।

(6) सा.का.नि. अधिसूचना 29 (अ) दिनांक 16.01.2023 में प्रावधान है कि केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और उनके विभागों, स्थानीय सरकार (नगर निगम या नगर पालिका या पंचायत), राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ अन्य स्वायत्त निकायों के स्वामित्व वाले वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को पंद्रह वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।

(7) सा.का.नि. अधिसूचना 663 (अ) दिनांक 12.09.2023 में केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से परिवहन वाहनों के अनिवार्य परीक्षण की तारीख को 01 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाने का प्रावधान है।

(8) सा.का.नि. अधिसूचना 709 (अ) दिनांक 14.11.2024 में केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से परिवहन वाहनों के अनिवार्य परीक्षण की तारीख को 01 अप्रैल 2025 तक बढ़ाने का प्रावधान है।

(ख) 04.12.2024 तक देश भर में 76 आरवीएसएफ और 92 एटीएस कार्यरत हैं।

(ग) और (घ) (i) अपने वाहनों को स्वैच्छिक रूप से स्क्रैप करने का विकल्प चुनने वाले नागरिकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं:-

- सा.का.नि. अधिसूचना 714 (अ) दिनांक 04.10.2021 में प्रावधान है कि, यदि वाहन 'जमा प्रमाणपत्र' के प्रस्तुत करने पर पंजीकृत है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
- सा.का.नि. अधिसूचना 720 (अ) दिनांक 05.10.2021 में "जमा प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने के एवज में पंजीकृत वाहन के लिए मोटर वाहन कर में छूट (गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पच्चीस प्रतिशत तक और परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह प्रतिशत तक) प्रदान की गई है। बशर्ते कि यह छूट परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह वर्ष तक उपलब्ध होगी।

(ii) स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वीवीएमपी) का उद्देश्य सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, जहां जीवन के अंतिम चरण में पहुंच चुके वाहनों (ईएलवी) को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से नष्ट किया जाता है, ताकि पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग टिकाऊ तरीके से किया जा सके।

(ड.) वाहन विनिर्माण क्षेत्र पर वीवीएमपी के प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह उत्पादन में सामग्री के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण द्वारा सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

*****